प्रो० नवल किशोर यादव, माननीय स०बि०वि०प० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–295 (IR-5) से उद्भूत आश्वासन संख्या–06/192 का अद्यतन उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	आश्वासन	अद्यतन उत्तर प्रतिवेदन
(क) क्या यह सही है कि क्षेत्र यंत्र प्रमंडल दीघा (पटना) के अंतर्गत पटना मुख्य नहर में वर्ष 2018–19 में नहर के शीर्ष नियमक गेटों एवं उत्तोलन प्रणाली, उसके अधिष्ठापन से संबंधित मरम्मति कार्यो में भारी पैमाने पर अनियमितता करने की विभागीय निगरानी द्वारा जाँच की जा रही है :	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति यह है कि :– क्षेत्र यंत्र प्रमंडल, दीघा (पटना) के अंतर्गत वर्ष 2018–19 में पटना मुख्य नगर एवं विभिन्न वितरणियों में गेटों के अधिष्ठापन एवं इसके विशेष मरम्मति कार्यों में की जा रही अनियमितता जाँच उड़नदस्ता अंचल–2, जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा करायी गयी है। – संबंधित सहायक अभियंता (यांत्रिक) के दि०–31.03.2014 को सिंचाई यांत्रिक अवर प्रमंडल, वीरपुर से सेवानिवृत्त होने के उपरान्त विभाग में यांत्रिक अभियंताओं की घोर कमी को देखते हुए दि०–02.09.2016 को क्षेत्र यंत्र प्रमंडल, दीघा में संविदा पर नियोजित किया गया है, जहाँ वे पुनर्नियोजन के फलस्वरूप कार्यरत है। अनियमितता संबंधी जाँच में अंतिम फलाफल निर्णय के आरोप प्रमाणित होने पर संबंधित संविदा पर नियोजित सहायक अभियंता पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। – नहरों में पानी की उपलब्धता के अनुरूप सिंचाई दी जा रही है। विगत खरीफ 2018 एवं रब्बी 2018–19 में नहर गेटों को संचालित कर किसानों को उपलब्ध जलश्राव के अनुसार सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।	– क्षेत्र यंत्र प्रमंडल, दीघा, पटना अंतर्गत तत्कालीन संविदा पर नियोजित संबंधित सभी अभियंताओं की सेवा समाप्त की जा चुकी है। – विभागीय अधिसूचना सं०–960 दि०–22.09.2020 द्वारा नए सहायक अभियंताओं (यांत्रिक) की नियुक्ति की गयी है। – क्षेत्र यंत्र प्रमंडल, दीघा अंतर्गत वर्ष–2018–19 में पटना मुख्य नहर एवं उसके विभिन्न वितरणियों में गेटों के अधिष्ठापन तथा इसके विशेष मरम्मति के कार्यों की जाँच विभागीय उड़नदस्ता अंचल–02 पटना द्वारा करायी गयी। – प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त उक्त मामले में संबंधित अभियंताओं के विरूद्ध आरोप पत्र गठन कर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। – सभी अभियंताओं से प्राप्त स्पष्टीकरण उतर के समीक्षोपरान्त इसे स्वीकार योग्य पाते हुए संबंधित अभियंताओं को सक्षम प्राधिकार द्वारा आरोपमुक्त करने का निर्णय लिया गया है।
(ख) क्या यह सही है कि चल रही जाँच में प्रथम द्रष्टया आरोप प्रमंडल के सहायक अभियंता पर प्रमाणित है इसके बावजूद उक्त अभियंता की पुनर्नियुक्ति विभाग द्वारा अनियमित रूप से पूर्व के स्थान पर की गई है :		
(ग) क्या यह सही है कि त्रुटिपूर्ण गेटों के निर्माण के चलते नहर का पानी निचले हिस्से में नहीं पहुँच पाता है, जिससे किसानों की खरीफ फसलें प्रत्येंक वर्ष में भारी मात्रा में बर्बाद हो जाती है।		
(घ) यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या खंड "ख" में प्रमाणित आरोप के आलोक में उक्त सहायक अभियंता का पुनर्नियुक्ति पुनः करने का क्या औचित्य है ?		

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– 26 / वि0प0–06–02 / 2019..... पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– उप सचिव, बिहार विधान परिषद सचिवालय, पटना के पत्रांक–368(6) दिनांक–01.08.2019 के आलोक में तारांकित प्रश्न सं0–295 (IR-5) से उदभूत् आश्वासन सं0–06 का अनुमोदित अद्यतन कार्यान्वयन प्रतिवेदन पाँच प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0प0–06–02 / 2019..... पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0प0–06–02 / 2019..... पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0प0–06–02 / 2019.....5736 पटना / दिनांक :.....30/9/2026

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, आई0टी0 ~~सेन्टर~~, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/9/26
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव